संख्या- 795/2351/-41-1-2024/-CN-1794943 -2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024

विषय: **मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता जनपद इटावा में ग्राम धूमनपुरा स्थित यमुना नदी पर घाट का निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु स्वीकृति परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-4539/मु0प0वि0स0यो0/74-इटावा/2023,दिनांक 18 सितम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम **मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता जनपद इटावा में ग्राम धूमनपुरा स्थित यमुना नदी पर घाट का निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु स्वीकृति परियोजना को निरस्त** किये जाने का अनुरोध किया जाना गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपारांत **मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता जनपद इटावा में ग्राम धूमनपुरा स्थित यमुना नदी पर घाट का निर्माण एवं पर्यटन विकास कार्य** संबंधि परियोजना विषयक शासनादेश संख्या-284/2024/766/41-1-2024-001-CN-1794943-2024, दिनांक 07 मार्च, 2024 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-284/2024/766/41-1-2024-001-CN-1794943-2024, दिनांक 07 मार्च, 2024, द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 075 लाख तथा शासनादेश संख्या-658/2024/41-1-2024- CN-1794943-24, दिनांक 12.07.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 25.00 लाख, कुल धनराशि रू0 25.75 लाख (रू0 पच्चीस लाख पचत्तर हजार मात्र) को मय ब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री पर्यटन विभाग, उ0प्र0, शासन।
4. श्रीमती सरिता भदौरिया, मा0 सदस्य उ0प्र0 विधान सभा (इटावा सदर)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. जिलाधिकारी इटावा।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रण पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. निदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
10. उप निदेशक, लखनऊ/कानपुर मण्डल ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12.गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।